प्रेस नोट दिनाँक-03.09.2021

(1). पुलिस अधीक्षक चित्रकूट श्री धवल जायसवाल के निर्देशन में परिवारिक रिश्तों को बचाने हेतु किये जा रहे प्रयासों के क्रम में पुलिस कार्यालय में स्थापित परिवार परामर्श केन्द्र द्वारा एक बार फिर पति-पत्नी के आपसी झगड़े को समाप्त कराकर आपस में सुलह कराते हुये परिवार को टूटने से बचाया ।

उल्लेखनीय है कि श्रीमती कोमल देवी पत्नी राजू निषाद निवासी भैंरोपागा थाना कोतवाली कर्वी जनपद चित्रकूट द्वारा अपने पति राजू निषाद के विरुद्ध मजदूरी के रुपये छीनकर शराब पीकर मारपीट एवं गाली गलौज करने के सम्बन्ध में पुलिस अधीक्षक महोदय को प्रार्थना पत्र दिया गया

पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा प्रार्थना पत्र के निस्तारण हेतु पुलिस कार्यालय स्थित परिवार परामर्श केन्द्र को निर्देशित किया गया। परिवार परामर्श केन्द्र में नियुक्त मुख्य आरक्षी अरूण कुमार एवं महिला आरक्षी मंजूलता पाल द्वारा दोनों पक्षों को कार्यालय बुलाया गया । दोनों पक्षों की समस्याओं को सुनकर, समझाया गया । दोनों पक्षों द्वारा भविष्य में विवाद न करने एवं आपस में मिलजुल कर रहने हेतु कहा । इस तरह दोनों पक्षों द्वारा आज दिनाँक 03.09.2021 को आपस में सुलह की गयी । सुलह होने पर दोनों पक्षों को आपस में सामन्जस्य बिठाकर सही प्रकार से आपस में मिलजुलकर रहने तथा पति पत्नी के कर्तव्यों को निर्वाहन करने की सलाह दी गयी ।

(2). आज दिनाँक 03.09.2021 को पुलिस अधीक्षक चित्रकूट श्री धवल जायसवाल द्वारा पुलिस लाइन्स चित्रकूट में शुक्रवार परेड की सलामी लेकर परेड का निरीक्षण किया गया । परेड के दौरान महोदय द्वारा पुलिस लाईन्स में प्रशिणाधीन आरक्षियों की प्रत्येक टोली की ड्रिल देखी गयी जिसमें आवश्यक सुधार हेतु उस्तादों को दिशा निर्देश दिये गये।

बाद परेड महोदय द्वारा डायल 112 की दो पहिया व चार पहिया वाहनों को चेक किया गया। डायल 112 प्रभारी को निर्देशित किया गया कि डायल 112 एवं पुलिस की अन्य जनहितकारी योजनाओं का प्रसार प्रचार करने हेतु तथा कर्मचारियों को क्राइम सीन की सिखलाई हेतु निर्देशित किया गया। तत्पश्चचात महोदय द्वारा पुलिस लाइन स्टोर का निरीक्षण कर रजिस्टरों का अवलोकन किया गया। आदेश कक्ष में पुलिस कर्मियों का अर्दली रुम किया गया।

इस दौरान क्षेत्राधिकारी नगर/लाइन्स श्री शीतला प्रसाद पाण्डेय, प्रतिसार निरीक्षक श्री सुमेर सिंह, डायल 112 प्रभारी श्री आर.के सिंह तथा अन्य अधिकारी/कर्मचारीगण उपस्थित रहे।

(3). पुलिस अधीक्षक चित्रकूट श्री धवल जायसवाल के निर्देशन में वांछित वारण्टी अभियुक्तों की गिरफ्तीर हेतु चलाये जा रहे अभियान के क्रम में प्रभारी निरीक्षक कोतवाली कर्वी श्री वीरेन्द्र त्रिपाठी के मार्गदर्शन में उ0नि0 श्री राधेश्याम तथा उनकी टीम द्वारा मु0अ0सं0 310/21 धारा 307/506/34 भादवि0 के वांछित अभियुक्त विजय द्विवेदी उर्फ सुग्गा पुत्र बालकृष्ण द्विवेदी उर्फ छोटा निवासी इलाहाबाद रोड थाना कोतवाली कर्वी जनपद चित्रकूट को 01 तमंचा व 01 कारतूस 315 बोर के साथ गिरफ्तार किया गया। अभियुक्त के विरुद्ध थाना कोतवाली कर्वी में मु0अ0सं0 329/21 धारा 03/25 आर्म्स एक्ट पंजीकृत किया गया।

इस टीम द्वारा मु0अ0सं0 312/21 धारा 307/504/34 भादवि0 के वांछित अभियुक्त नितिन उर्फ अखिलेन्द्र पुत्र रमेश निवासी डाकखाना के पास पुरानी बाजार कोतवाली कर्वी जनपद चित्रकूट को भी गिरफ्तार किया गया।

बरामदगीः-

01 तमंचा व 01 कारतूस 315 बोर

गिरफ्तारी करने वाली टीमः-

1. उ0नि0 श्री राधेश्याम थाना कोतवाली कर्वी

2. उ0नि0 श्री शिवकुमार यादव

3. आरक्षी लवलेश

4. आरक्षी रोहित यादव

(4). पुलिस अधीक्षक चित्रकूट श्री धवल जायसवाल के निर्देशन में अवैध शराब निर्माण एवं बिक्री की रोकथाम हेतु चलाए जा रहे अभियान के क्रम में थाना पहाड़ी पुलिस एवं आबकारी टीम द्वारा अभियुक्त 1. इन्द्रजीत सोनकर पुत्र मुन्ना उर्फ भूरा

2. सोनिया देवी पुत्री मुन्ना उर्फ भूरा निवासीगण पहाड़ी 3.सविता देवी पुत्री भूरेलाल निवासीगगण गोविन्द पुर छाता फतेहपुर 4. मैकू उर्फ बूची वीरेन्द्र पुत्र कटुनी निवासी रायपुर बांगर थाना राजापुर थाना कोतवाली कर्वी जनपद चित्रकूट 25 लीटर अपमिश्रित शराब, 50 किलो लहन, 01 किलो यूरिया खाद व शराब बनाने के उपकरणों के साथ गिरफ्तार किया गया। लहन को मौके पर नष्ट किया गया। अभियुक्तों के विरूद्ध थाना पहाड़ी में मु0अ0सं0 117/21 धारा 60(2) आबकारी अधिनियम व 272 भादवि0 पंजीकृत किया गया।

(5). उ0प्र0 शासन द्वारा नारी सुरक्षा, नारी सम्मान, नारी स्वालंबन, महिला कल्याण एवं बाल विकास के लिए चलाये जा रहे मिशन शक्ति अभियान 3.0 के अन्तर्गत श्री धवल जायसवाल पुलिस अधीक्षक चित्रकूट के निर्देशन में दिनांक 03.09.2021 को एंटी रोमियों टीम महिला थाना द्वारा कर्वी क्षेत्र के पाठा जलकल, अमानपुर, कपसेठी, बेड़ी पुलिया में भ्रमण कर, एंटी रोमियो टीम थाना बरगढ़ द्वारा बैंक, कस्बा बरगढ़ व ग्राम भरतपुरवा में भ्रमण कर, एंटी रोमियो टीम थाना पहाड़ी द्वारा ग्राम बाबूपुर में भ्रमण कर, एंटी रोमियो टीम थाना मारकुण्डी द्वारा आर्यावर्त बैंक, बाजार कस्बा मारकुण्डी में भ्रमण कर, एन्टी रोमियो टीम थाना मऊ द्वारा बस स्टैंड एसबीआई बैंक व बाजार का भ्रमण कर, एंटी रोमियो स्क्वायड कोतवाली कर्वी द्वारा जगदीश गंज, पांडेय कॉलोनी, द्वारिकापुरी चकरही चौराहा आदि जगहों में भ्रमण कर, एंटी रोमियो टीम थाना रैपुरा द्वारा ग्राम रैपुरा में बैंक, बाजार, दुकानों पर भ्रमण भ्रमण कर महिलाओं/ बालिकाओं को मास्क लगाने हेतु जागरूक किया । महिला आरक्षियों द्वारा महिलाओं/बालिकाओं को वीमेन पावर लाइन 1090, महिला हेल्पलाइन 181, मुख्यमंत्री हेल्पलाइन 1076, पुलिस आपातकालीन सेवा 112, चाइल्ड हेल्पलाइन 1098, स्वास्थ्य सेवा 102, एम्बुलेंस सेवा 108 एवं अपने-अपने थाना के सीयूजी नम्बर के बारें में विस्तृत जानकारी देकर जागरूक किया साथ ही मास्क लगाने एवं कोविड-19 के नियमों का पालन करने हेतु बताते हुये कोरोना वैक्सीन के प्रति जागरुक किया गया ।

(6). पुलिस अधीक्षक श्री धवल जायसवाल जनपद चित्रकूट द्वारा माननीय न्यायालय में लम्बित चल रहे मुकदमों में सघन पैरवी करवा कर अपराधियों को सजा दिलाने के उद्देश्य से नियमित रुप से गवाहों को पेश कराने हेतु निर्देशों के अनुपालन में प्रभारी निरीक्षक कोतवाली कर्वी श्री वीरेन्द्र त्रिपाठी एवं पैरोकार आरक्षी दिनेश कुमार यादव द्वारा कड़ी मेहनत कर समय से गवाहों की पेशी करायी गयी। अभियोजन अधिकारी श्री जगतपाल द्वारा प्रभावी प्रस्तुति एवं प्रभावी बहस की गयी, जिसके परिणाम स्वरूप माननीय न्यायाधीश श्री सतीश चन्द्र द्विवेदी विशेष न्यायाधीश एससी0/एसटी कोर्ट जनपद चित्रकूट द्वारा दिनाँक 03.09.2021 को कोतवाली कर्वी के मु0अ0सं0 341/2016 धारा 376/504 भादवि0 व 3(2)5 अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989 के आरोपित अभियुक्त धीरज उर्फ छोटू तिवारी पुत्र राजेश तिवारी निवासी बघौड़ा कोतवाली कर्वी जनपद चित्रकूट को आजीवन कारावास व 20000/- रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।